

।।कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1725 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, नवम्बर 15 / 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0- FP/UK/Road/15018/2015

संदर्भ:-

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1786/23 एल0ए0 दिनांक 29/10/2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के संदर्भित पत्र से ल्वां दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण कर निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0 सं0	प्रस्ताव में कमियां	कमियों का निराकरण
1	The employment details are para E9(ii) and(iii) needs to be reviewed and corrected by the State Govt.	Correction has been made in para E(ii) & (iii) part-I Paramanent Employee-20 Temporary Employee-600
2.	Village level committee (VLC) meeting proceedings for village Gadora and Mahergaon are yet to be submitted.	गड़ोरा एवं ल्वां गांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है, तथा मेहरगांव ल्वां ग्रामसभा का तोक है। जिस कारण मेहरगांव के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हुई। उक्त प्रपत्र Additional Information में संलग्न है।
3.	The number of trees affectes are mentioned as 142 in hard copy. Where as it is mentioned as 132 as per enumeration list uploaded in Part-II.	पूर्व में पेड़ों की गणना भी 6.00 मी0 चौड़ाई में की गयी, परन्तु बाद में मार्ग पर 7 मी0 चौड़ाई में ही वृक्षों गणना की गई। जिसमें विभिन्न प्रजातियों के कुल 403 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें ब्यास वर्ग 0-10 के कुल 266 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। ब्यास वर्ग 0-10 के कम करने पर कुल 137 वृक्षों की सूची पार्ट II में अपलोड की गई है।
4.	Trees details in 9m width not uploaded as additional information in Form A, part II.	प्रस्तावित वन भूमि 7 मी0 चौड़ाई में अधिगृहीत की गई है तथा पेड़ों की गणना भी 7 मी0 चौड़ाई में गई है। जिसे Additional information में अपलोड की गई है।
5.	In village wise breakup, gadora and Maharagaon is mentioned but in FRA it is seen that village by name Lwan has been shown affected, please upload all village VLC metting certificate match with village shown in (village wise break up B.2.4) in FRA at section K in form A Part-I.	गड़ोरा एवं ल्वां गांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है, तथा मेहरगांव ल्वां ग्रामसभा का तोक है। जिस कारण मेहरगांव के अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं हुई। उक्त प्रपत्र मय FRA in Section K Form A Part-I Additional infoamtion में संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 04-10-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.713 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.713 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature
4/10/17
(District Magistrate Chamoli)
जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

अधिसारी अभियन्ता
प्रतीय चण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli on dated 04-10-2017 at time 17:00 hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.713 hect for the construction of Construction of MaherGaon motor road from Luhwa-Degoli motor road, Under State Sector at Dasoli Block in District- Chamoli. 1.50 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

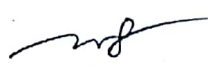
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 04-10-2017

4/10/17
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee Chamoli

चमोली


अधिशारी अभियन्ता
प्रतिपद सो० नि० वि०
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड. का गडोरा से महरगाव (वमेटी) मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का निर्माण
कार्यालय उप जिलाधिकारी चमोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली

में रा.ड. का गडोरा से महरगाव (वमेटी) मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.213 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 16/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- 1- श्री अवधेश कुमार सिंह उपजिलाधिकारी (सर) अध्यक्ष
- 2- श्री एम. एम. सुभा उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री मार्. गेल. खन्डा सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव
- 4- श्री सुनील कोठिवाल-बाटुलावाड बी.डी.सी. क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत ग्राम महरगाव (वमेटी) ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के अन्तर्गत रा.ड. का गडोरा से महरगाव (वमेटी) तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.213 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई नामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

अवधेश कुमार सिंह
उपजिलाधिकारी
अध्यक्ष

एम. एम. सुभा
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

मार्. गेल. खन्डा
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

सुनील कोठिवाल
बी.डी.सी. क्षेत्र
सदस्य

अविशारी अभियन्ता
प्रमाणित 100 नि. वि.
नियंत्रण

परियोजना का नाम :

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

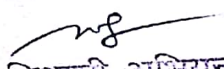
जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में ग्रा.पं. तवांड महराज अन्तर्गत रा.इ.का. जे.रा.से महराज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.713 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 0.713 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

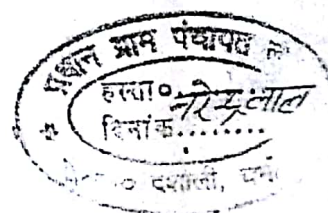
उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 0.713 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान


अतिरिक्त अभियन्ता
प्रतीक जगद लो० नि० वि०
गोरखपुर



बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम		हस्ताक्षर
	विजय लाल	विजय लाल
2)	हरीश लाल	हरीश लाल
3)	आलम लाल	आलम लाल
4)	सुनील कोठियाल प्र. पं. सदस्य बाहुना	सुनील कोठियाल
5)	सुकमडी देवी	सुकमडी देवी
6)	लक्ष्मण लाल	लक्ष्मण लाल
7)	जयहिन्द लाल	जयहिन्द लाल
8)	गुडडी देवी	गुडडी देवी
9)	दोतणी देवी	दोतणी देवी
10)	धनराम लाल	धनराम लाल
11)	चमन लाल	चमन लाल
12)	सावित्री देवी	सावित्री देवी
13)	वनीता देवी	वनीता देवी
14)	सरिता देवी	सरिता देवी
15)	लखपत लाल	लखपत लाल
16)	राधा देवी	राधा देवी
17)	श्री लक्ष्मी प्रसाद डबराल	श्री लक्ष्मी प्रसाद डबराल
18)	श्रीमती मंजू देवी	श्रीमती मंजू देवी
19)	रमेश चंद प्रसाद डबराल	रमेश चंद प्रसाद डबराल
20)	जीमती प्रजा देवी	जीमती प्रजा देवी
21)	विशेश्वरी देवी	विशेश्वरी देवी
22)	राजु लाल	राजु लाल
23)	रामेश्वरी देवी	रामेश्वरी देवी
24)	नारायण लाल	नारायण लाल
25)	संतोष देवी	संतोष देवी
26)	गजेन्द्र लाल	गजेन्द्र लाल
27)	सुरेश देवी	सुरेश देवी
28)	मदन लाल	मदन लाल

अधिशाली अभियन्ता

प्राचीन चण्ड रोड नि. नि. वि.

नौसेन

उत्तराखण्ड

रेखा देवी

रघुवीर लाल
रुद्र देवी

विशेश्वरी देवी

श्री गुरुदेव बाबा

पुष्पकार लाल

संदीप लाल

विजोद लाल

मैत्री देवी

जलेश्वरी लाल

पद्मेन्द्र लाल

गंगा देवी

अधिकांसी अभियन्ता
गंगा नंद सो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रमाण अधिकारी अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमौली)

होदप,

गडोरा - किसी मोटर मार्ग के किमी० 4 से मेहर गांव
मोटर मार्ग लम्बाई 1.5 किमी० के समरेखन से समस्त ग्राम -
वासी अनुसर है।

अतः इस समरेखण से ग्रामवासीओं के किसी भी
प्रकार की आपत्ति नहीं है।

सुने देवी देवी

- 10 मदन लाल
- 11 अमरलाल
- 12 अमरलाल
- 13 अमरलाल
- 14 सतीश्वरी
- 15 अकमल देवी
- 16 रामेश्वरी
- 17 विष्णुश्वरी

अवधी

समस्त ग्रामवासी

मेहर गांव

हरीश लाल

सुनील

सरिता देवी

बाहिनी लाल

मुंडी देवी

वीरेश्वर लाल

नरेश लाल

नरेश लाल

- 18 गंगा देवी
- 19 पुष्पा देवी
- 20 अन्नना देवी
- 21 मुंडी देवी



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर लो० नि० वि०
गोपेश्वर

PC- 41105100



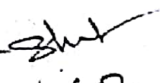
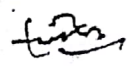
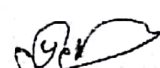
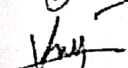
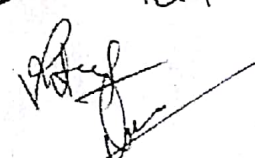
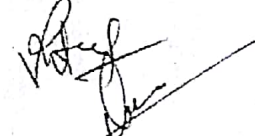
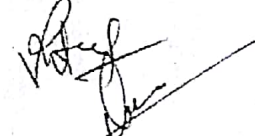
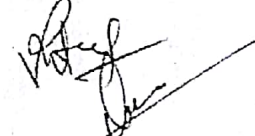
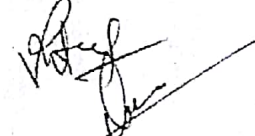
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर लो० नि० वि०
गोपेश्वर

नरेश लाल
26-7-2017

अधिकारी अभियन्ता

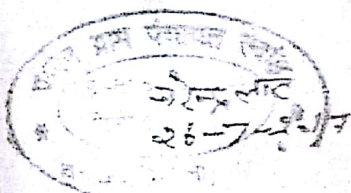
~~सहमति प्रमाण पत्र~~

सहमति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत गडोरा

- शम्भुप्रसाद सती जी - 
सच्चिदानंद जी हटवाण - 
" उरुषोत्तम दत्त सती - 
" लोकानंद हटवाण - 
" नवीन भट्टियाण - 
" कैलाश सती - 
" लक्ष्मी दत्त देवली - 
" बालकृष्ण सती - 
" कृष्ण मुरारी - 
" योगम्बरसिंह - 
" विजय हटवाण - 
" ललित स्त्री - 
" श्रीमती सुशीला देवी - 
" तिलोत्तमा देवी - तिलोत्तमा देवी
" गुडड़ी देवी - 
" गीता देवी - गीता देवी

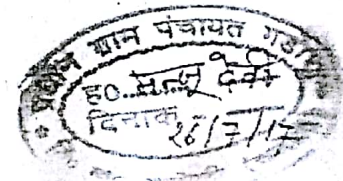


26/7/17
मुख्य सुनील के
ग्राम पंचायत
गडोरा (सोनभद्र) में



अनीता देवी
त्रैना देवी
देवकी देवी
सुशीला देवी
ऊफा देवी
ललिता देवी
गुडड़ी देवी
शंकरवरी देवी
मनोरमा -
विजया देवी
गीता देवी
उमा देवी

रमा देवी
गुडड़ी 3 निधाल
शान्ता देवी
विनीता देवी
जीवन्ती देवी
सुशीला देवी
मंजु देवी
धने श्वरी



अधिकांशी अभियन्ता
ग्रामीण चण्ड लो० नि० वि०
सोपेक्षर

~~सहमति प्रमाण पत्र~~

सहमति प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायत गडोरा

1. ~~श्री रामधुसाराद सती जी~~ - ~~सहमति~~
2. " सच्चिदानंद जी हटवाण - ~~सहमति~~
3. " बुरधेनय दत्त सती - ~~सहमति~~
4. " लोकानंद हटवाण - ~~सहमति~~
5. " नवीन भटियाण - ~~सहमति~~
6. " कैलाश सती - ~~सहमति~~
7. " लक्ष्मी दत्त देवली - ~~सहमति~~
8. " बालकृष्ण सती - ~~सहमति~~
9. " कृष्ण मुरारी - ~~सहमति~~
10. " योगध्वरसिंह - ~~सहमति~~
11. " विजय हटवाण - ~~सहमति~~
12. " ललित सती - ~~सहमति~~
13. " श्रीमती सुशीला देवी - ~~सहमति~~
14. " तिलोत्तमा देवी - ~~सहमति~~
15. " गुडडी देवी - ~~सहमति~~
16. " गीता देवी - ~~सहमति~~



28/07/17
मुख्य नुमांश को न
सहमति प्रमाण पत्र
गडोरा (गडोरा) में

अनीता देवी
प्रेमा देवी
देवजी देवी
सुरीला देवी
अप्पा देवी
ललिता देवी
गुडडी देवी
शंकरा देवी
मनो देवी

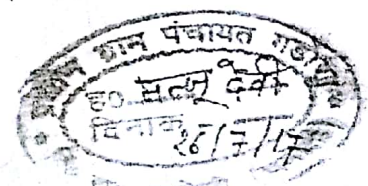
रमा देवी
गुडडी देवी

शान्ता देवी
विनीता देवी
जीवन्ती देवी

सुखी देवी
मंजु देवी

धने शरणी

विजया देवी
नीना देवी
उमरा देवी

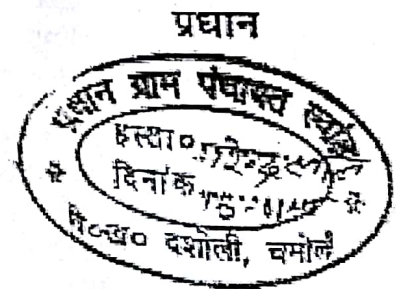
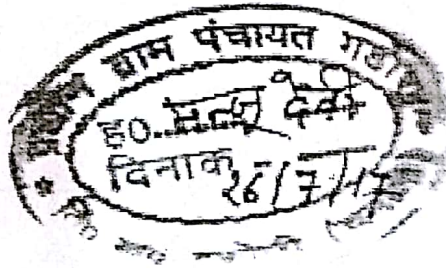


अधिकांश अभियन्ता
ग्राम पंचायत गडोरा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत त्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड दबोली के अन्तर्गत गडोरा-किरुली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।




 अधिशासी अभियन्ता
 प्रतीन खण्ड रो. नि. वि.
 गोपेश्वर